

प्रेषक,
के०के०सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2010

विषय : वर्ष 2010-2011 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3750/1-10-2007-12(73)/2007, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 17 जून, 2008 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कतिपय मामलों में जिनमें राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति को धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार है, उनमें से वर्ष 2008-09 में बाढ़ प्रभावित जनपदों में तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन धनराशि व्यय करने का अधिकार प्रतिनिधित्व किया गया था। दिनांक 25.08.2010 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वर्ष 2010-2011 में भी बाढ़ प्रभावित जनपदों में तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों हेतु स्टेयरिंग कमेटी की शक्तियों का प्रतिनिधायन जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों में कर दिया जाय।

2. आपदा राहत निधि से बाढ़ सम्बन्धी कार्यों की अनुमन्यताओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका के सुसंगत अंशों के उद्धरण निम्न प्रकार हैं :-

Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure in eligible sectors:	<u>Activities of immediate nature</u> ➤ An illustrative list of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix.
➤ Roads & bridges (2) Drinking Water Supply works. (3) Irrigation, (4)	<u>Time Period</u> ➤ The following time limits are indicated for undertaking works of immediate nature:-

Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Primary Education, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayats.	<u>For Plain areas</u> a) 30 days in case of calamity of normal magnitude. b) 45 days in case of calamity of severe magnitude. <u>For hilly areas and North Eastern States</u> a) 45 days in case of calamity of normal magnitude. b) 60 days in case of calamity of severe magnitude. <u>Assessment of requirements</u> ➤ On the basis of assessment made by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and on the basis of the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.
➤ Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/resources, are excluded.	

Illustrative list of activities identified as of immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

- i. Repair of damaged platforms of Hand pumps/Ring wells/Spring-tapped chambers/Public stand posts, cisterns.
- ii. Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii. Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intakes-structures, approach gantries/ jetties.

2. Roads

- i. Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii. Repair of breached culverts.

- iii. Providing diversions to the damaged/ washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv. Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation:

- i. Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cements, sand bags and stones.
- ii. Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
- iii. Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/Community Health Centers.

5. Community assets of Panchayat

- a. Repair of village internal roads
- b. Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c. Repair of internal water supply lines.
- d. Repair of street lights.
- e. Temporary repair of primary school, Panchayat ghars, community halls, anganwadi etc.

3. बाढ़ से क्षतिग्रस्त अनुमन्य श्रेणी के अवस्थापना कार्य एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत उपरोक्त निधि से अनुमन्य है, परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि मरम्मत कार्य तत्काल करा लिये जायें। अतः समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रियात्मक व्यवस्था भी आवश्यक है।

4.1 बाढ़ से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के उपरोक्तानुसार कार्यों की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल

लागत ₹0 20.00 लाख से अधिक न हों, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय राहत समिति गठित की जाती है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नामित अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, नामित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य होंगे। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इसी के तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तरीय अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समिति द्वारा सम्बन्धित/कार्यदायी विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जायेगा कि इस कार्य हेतु उन्हें किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

4.2 यदि प्रस्तावित कार्य की लागत ₹0 20.00 लाख से अधिक, परन्तु ₹0 1.00 करोड़ से अनधिक हो तो, कार्य के अनुमोदन हेतु मंडल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसमें सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी तथा सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के नामित मुख्य अभियन्ता, मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नामित अपर मंडलायुक्त तथा सम्बन्धित विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मंडलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4.3 जनपद, मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्य का अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स से आच्छादित हो (देखें प्रस्तर-2 उपरोक्त)।

4.4 कार्य से सम्बन्धित विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति के लिए जो व्यवस्था निर्धारित है उसका पालन यथावत किया जायेगा। परन्तु इस हेतु कोई भी प्रस्ताव राज्य मुख्यालय पर नहीं जायेगा, वरन् सम्बन्धित समिति/अधिकारी जनपद/मंडल स्तर पर जाकर ही परीक्षण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार संशोधन मौके पर ही कराकर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। यह इसलिए आवश्यक है कि कार्य पूर्ण कराने की समयबद्धता बनी रहे।

4.5 जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त शासन द्वारा आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि की सीमा तक ही परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेंगे। कोषागार नियम-27 से इस मद में कार्यों हेतु धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि की आवश्यकता होने पर औचित्य सहित धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.6 तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाली विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

5. तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकृत एवं सरल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे समस्त कार्य बाढ़ समाप्ति के उपरान्त C R F गाइड लाइन्स की समय सीमा के अन्तर्गत अधिकतम 31 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण करा लेंगे तथा कृत कार्यवाही से राज्य स्तरीय समिति को अवगत करा देंगे।

6. बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिन परियोजनाओं की कुल लागत रु० 20.00 लाख से अधिक तथा रु० 1.00 करोड़ तक हो, पर निर्णय लेने हेतु मण्डलायुक्त अधिकृत होंगे रु० 1.00 करोड़ से ऊपर की परियोजनायें मण्डलायुक्त स्तर पर गठित तकनीकी समिति के परीक्षण के पश्चात् मंडलायुक्त के माध्यम से राहत आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

7. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण/तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी, परन्तु इस हेतु तैयार प्रस्तावों पर विचारार्थ अधिकृत समिति मण्डल स्तर पर जाकर, स्थानीय अधिकारियों से विचारोपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय करेगी, ताकि आवश्यक संशोधन भी वही पर हो सके एवं राज्य मुख्यालय पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में समय व्यर्थ न हो। मण्डलायुक्त के स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने अथवा राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति की स्थिति में संस्तुति करने हेतु आवश्यकतानुसार शासन तथा विभागाध्यक्ष स्तर से अधिकारी वहाँ जाकर परियोजनाओं का परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति/संस्तुति की कार्यवाही करेंगे ताकि कोई भी प्रकरण वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति हेतु शासन में नहीं प्रेषित किया जाय, बल्कि शासन/विभागाध्यक्ष स्तर के सक्षम तकनीकी अधिकारी सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय पर जाकर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति में तकनीकी अनुमोदन (Technical Sanction) देंगे।

8. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/पुनर्स्थापना के कार्यों का सर्वे बाढ़ समाप्ति होने के 05 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय। तत्पश्चात् परियोजनाओं का प्राक्कलन प्रस्ताव तथा तकनीकी समिति से अनुमोदन आगामी 05 दिन में प्राप्त करते हुए 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्य प्रारम्भ हो जाय एवं 45 दिन में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसे प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2010-11 में संभावित बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स की मद संख्या-18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की

आवश्यकता का निर्धारण करत हुए उपलब्धता अनुसार किया जा सकता है। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टारक फोर्स भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। निरीक्षण आख्या तथा जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु उपयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति, मण्डलायुक्त के स्तर पर गठित समिति के कार्यवृत्त, परियोजना के औचित्य की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि का व्यय आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुरूप हो। यदि किसी बिन्दु पर स्थिति अस्पष्ट हो तो शासन से परामर्श अवश्य प्राप्त किया जाय।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/पुनर्स्थापना/अनुरक्षण कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य सम्बन्धित वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

12. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली

जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राजत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2011 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-1178/X-2010 दिनांक 21 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या -3253(1)/1-10-2008-12(73)/2008 तदुदिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. संमस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु। <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड गार्ड बुक।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त